प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति

रिट अपील क्रमांक 67/2010

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

बनाम

पुनीलाल चौहान

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधिपति

माननीय श्री न्यायाधिपति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु नियत : 26/10/2010

हस्ताक्षरित/-

21/10/2010

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति

रिट अपील क्रमांक 67/2010

अपीलार्थीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्वास्थ्य विभाग, डीकेएस भवन,

मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

2. निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, डीकेएस भवन

के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

3. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, श्रीराम कॉलोनी बेलादुला रोड, रायगढ़

(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीगण : 1. पुनिलाल चौहान, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता श्री नंकू राम चौहान,

आयुर्वेदिक कंपाउंडर, शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, जातरी,

तहसील और जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ उच्च न्यायालय (खंडपीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की

धारा 2 (1) के तहत रिट अपील)

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उपस्थिति :

राज्य/अपीलार्थियों की ओर से श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय

(26.10.2010)

माननीय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया।

(1) इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधिपति द्वारा रिट याचिका संख्या 3083/2005 में पारित दिनांक 5 फरवरी 2010 के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने यह अपील दायर की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं :-

रिट अपील क्रमांक 67/2010

प्रत्यर्थी एक आयुर्वेद कम्पाउण्डर के रूप में कार्यरत था। उसने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त की थी। प्रत्यर्थी से कुछ कनिष्ठों को सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी को पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि अर्थात 29/08/2000 से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए उक्त रिट याचिका दायर की। राज्य ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखता था। प्रत्यर्थी ने वर्ष 1995 में आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त की थी, जो कि सहायक सचिव (पंजीकरण), केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.08.2004 को जारी किए गए पत्र (रिट याचिका में अनुलग्नक आर/1) के अनुसार एक मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं थी। इसमें आगे तर्क दिया गया कि सहायक

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 40% पद कम्पाउण्डरों, जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं, की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे। चूंकि प्रत्यर्थी के पास आयुर्वेदिक स्नातक की योग्यता नहीं थी, इसलिए उत्तरवादी को सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करना संभव नहीं था।

माननीय एकल न्यायाधिपति ने **<u>दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनाम निदेशक स्वास्थ्य, दिल्ली प्रशासन सेवाएँ और अन्य, (1997) 11 SCC 687</u>** के निर्णय का उल्लेख करते हुए आदेश के कंडिका 9 में कहा कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 1995 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस प्रकार, राज्य का यह रुख कि प्रत्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा दिया गया आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त नहीं था, सही और उचित था। हालांकि, एम.पी. (सी.जी.) लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली) तृतीय श्रेणी मंत्रिस्तरीय सेवा भर्ती नियम, 1987 (जिसे इसके बाद 'नियम, 1987' कहा गया है) के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, माननीय एकल न्यायाधिपति ने माना कि सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए, नियम, 1987 के नियम 14 के अनुसार केवल 3 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता थी; प्रत्यर्थी के पास वह अनुभव था, और यह कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया था कि उम्मीदवार के पास सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी या अन्यथा नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार, माननीय एकल न्यायाधिपति ने माना कि सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए, कम्पाउण्डर के पद पर 3 वर्ष के अनुभव के अलावा, कोई न्यूनतम योग्यता नहीं थी। माननीय एकल न्यायाधिपति ने इस प्रकार रिट याचिका को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता प्राधिकारी कानून के अनुसार, उत्तरवादी के कनिष्ठों को उक्त पद पर पदोन्नत किए जाने की तिथि से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी के मामले पर नए सिरे से विचार करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) श्री किशोर भादुड़ी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य/अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित होकर, तर्क दिया कि नियम, 1987 का नियम 14 पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों से संबंधित है। उन्होंने नियम 14 के तहत तैयार की गई अनुसूची IV का उल्लेख किया और

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

तर्क दिया कि कम्पाउंडर के पद पर 3 वर्ष के अनुभव के मानदंड के अलावा, सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक मानदंड यह था कि फीडर कैडर में विचार किया जाने वाला कम्पाउंडर आयुर्वेदिक स्नातक होना चाहिए। उनका निवेदन था कि विद्वान एकल न्यायाधिपति ने इस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया है और गलत तरीके से यह माना है कि 3 वर्ष के अनुभव के मानदंड के अलावा, सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई अन्य शर्त नहीं थी और आक्षेपित आदेश दूषित है।

(4) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा ने इन तर्कों का विरोध किया और विद्वान एकल न्यायाधिपति द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

रिट अपील क्रमांक 67/2010

(5) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और रिट अपील के साथ-साथ रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) यह हमारे समक्ष या विद्वान एकल न्यायाधिपति के समक्ष विवादित नहीं था कि प्रत्यर्थी के पास आयुर्वेदिक स्नातक की योग्यता नहीं थी क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी किया गया आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। यदि हम नियम 14 के प्रावधानों को देखें, जो पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों से संबंधित है, तो यह प्रावधानित करता है कि उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन विभागीय पदोन्नति समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन तक (चाहे वह मूल या स्थानापन जैसा कि अनुसूची IV के कॉलम (4) में निर्दिष्ट है) निरंतर सेवा के वर्षों की संख्या से कम नहीं पूरा किया उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित पद या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी भी पद या पदों में। नियम 14 के अनुरूप अनुसूची IV को 5 कॉलमों में विभाजित किया गया है। कॉलम संख्या 1 क्रम संख्या दिखाता है, कॉलम संख्या 2 उस पद का नाम दिखाता है जिससे पदोन्नति की जानी है; कॉलम संख्या 3 उस पद का नाम दिखाता है जिस पर पदोन्नति की जानी है; कॉलम संख्या 4 अपेक्षित अनुभव दिखाता है; और कॉलम संख्या 5 विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के बारे में दिखाता है।

(7) वर्तमान मामले में, हम प्रभागीय संगठन की स्थापना के तहत श्रेणी III, क्रमांक 6 से संबंधित हैं। अनुसूची IV का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

अनुसूची IV

(नियम 14 देखें)

क्र.सं.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रभागीय संगठन की स्थापना				
श्रेणी-I				
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
श्रेणी-II				
5	X	X	X	X
श्रेणी-III				
6	कम्पाउण्डर (1) 40% उन कम्पाउण्डरों से जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं	सहायक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ को कार्यमुक्त करने वाला, अनुसंधान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	3 वर्ष	जिला आयुर्वेद अधिकारी (वरिष्ठ) सदस्य या अधीक्षक, अस्पताल, फार्मेसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

हालाँकि, कॉलम संख्या 4 में यह उल्लेख किया गया है कि कम्पाउंडर के पद से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव 3 वर्ष होना चाहिए, लेकिन साथ ही, कॉलम संख्या 2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी पदोन्नति के लिए फीडर कैडर कम्पाउंडर का कैडर होगा और यह उन कम्पाउंडरों में से 40% होगा जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं। इन कॉलमो के विभिन्न प्रावधानों (कॉलम 2 से 5) को एक साथ पढ़ा जाना है और किसी भी चीज को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

जब कॉलम संख्या 2 में, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रमोशन के लिए उन कम्पाउंडरों पर विचार किया जाना है जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं, तो एक कम्पाउंडर, जो वास्तव में एक आयुर्वेदिक स्नातक नहीं था, को नियम, 1987 के नियम 14 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची IV श्रेणी III सरल क्रमांक संख्या 6 के आलोक में सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) यह स्वीकृत है कि प्रत्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, क्योंकि वह एक आयुर्वेदिक स्नातक नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी के मामले को सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए प्रत्यर्थी नहीं था और प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को, उपरोक्त के मद्देनजर, खारिज किए जाने योग्य थी।

(9) श्री प्रतीक शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि आयुर्वेदिक स्नातक की आवश्यकता विशेष रूप से फीडिंग कैडर कम्पाउंडरों की कुल संख्या के 40% के लिए है, जिनके पास वह योग्यता है, लेकिन यह फीडर कैडर में अन्य कम्पाउंडरों के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है जिनके पास 3 साल का अनुभव है।

(10) श्री शर्मा द्वारा दिए गए तर्क को नियम, 1987 के नियम 8 और अनुसूची III के प्रावधानों के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 8 सीधी भर्ती से संबंधित है और अनुसूची III में निर्धारित सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता एल.ए.पी. भिषगाचार्य और बी.ए. भाग I के साथ आयुर्वेदाचार्य है। इसलिए, एक कम्पाउंडर जो एक आयुर्वेदिक स्नातक नहीं है, वास्तव में, सहायक आयुर्वेद

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें बुनियादी योग्यता की कमी होगी। इसलिए, नियम 14 और नियम, 1987 की अनुसूची IV के प्रावधानों की उपरोक्त व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(11) उपरोक्त कारणों से, रिट अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधिपति द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

(12) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधिपति

Disclaimer

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……Pritika Pandya